No. 2026247 Registered No. N. E. 930.

TRIPURA GAZETTE

Published by Authority

EXTRAORDINARY ISSUE

Agartala, Monday, February 16, 2026 A. D., Magha 27, 1947 S. E.

PART–IA– Orders and Notifications by the Government of India, Statutory Notifications of the Election Commission of India and other Election Notification published for General Information, orders and Notifications which have originally been published in the "Gazette of India" are only republished.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No. 76/TP-LA/18/2023/CEMS-I **Dated:** 13th February, 2026 / 24 Magha, 1947 (Saka)

ORDER

WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Tripura, 2023 for **18-Suryamaninagar** Assembly Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. 464/TP-LA/2023, dated 21st January, 2023; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his election expenses which shall be a true copy of the account kept by him or his election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the election for **18-Suryamaninagar** Assembly Constituency of Tripura, 2023 was declared by the Returning Officer on 2nd March, 2023 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 1st April, 2023; and

WHEREAS, as per the report dated 01.04.2023 of **DEO, West Tripura** under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 received through the Chief Electoral Officer, **Tripura** vide his letter No. F.19(60)/CEO/EEM/2023/189-90 dated 17.04.2023, **Sh. Biplab Majumder,** a contesting candidate from **18-Suryamaninagar Assembly Constituency** of Tripura, 2023 has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a 'Show-Cause Notice' No. **76/TP-LA/18/2023/CEMS-I, dated 25th September, 2023** was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Biplab Majumder,** for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said 'Show Cause Notice' and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Biplab Majumder,** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge the account of election expenses with the District Election Officer, **West Tripura**, District within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the Chief Electoral Officer, Tripura, has reported that the said 'Show Cause Notice' was served to **Sh. Biplab Majumder,** on dated **09.10.2023**; and

WHEREAS, the District Election Officer, **West Tripura** in his Supplementary Report dated 05.03.2025 has reported that **Sh. Biplab Majumder,** has not submitted any statement of account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Biplab Majumder** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India for failure to lodge the account of his election expenses as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.";

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Biplab Majumder,** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act,1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Biplab Majumder, R/o Amtali Bholagiri, PO & PS Amtali, District West Tripura, Tripura-799130** and a contesting candidate from **18-Suryamaninagar** Assembly Constituency in General Election to the Legislative Assembly of Tripura, 2023, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

(RAKESH KUMAR)
SECRETARY
ELECTION COMMISSION OF INDIA

To

Sh. Biplab Majumder,
R/o Amtali Bholagiri,
PO & PS Amtali,
District. West Tripura, Tripura-799130

भारत निर्वाचन आयोग
ELECTION COMMISSION OF INDIA

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

सं. 76/त्रिप0-वि0स0/18/2023/सीईएमएस-I दिनांक: 13 फरवरी, 2026
24 माघ, 1947 (शक)

आदेश

यतः, भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना सं. 464/त्रिप0-वि0स0/2023 दिनांक 21 जनवरी, 2023 के अनुसरण में 18-सूर्यमणिनगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए त्रिपुरा विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2023 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अन्तर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, त्रिपुरा के 18-सूर्यमणिनगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन, 2023 का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 02 मार्च, 2023 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 01 अप्रैल, 2023 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, त्रिपुरा से उनके दिनांक 17.04.2023 के पत्र सं. F.19(60)/CEO/EEM/2023/189-90, के तहत प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, पश्चिम त्रिपुरा की दिनांक 01.04.2023 की रिपोर्ट के अनुसार, श्री बिप्लब मजूमदार, जो त्रिपुरा के 18-सूर्यमणिनगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र,2023 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथा अपेक्षित निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पश्चिम त्रिपुरा की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री बिप्लब मजूमदार को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/TP-LA/18/2023/सीईएमएस-I, दिनांक 25.09.2023 को जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त उक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, श्री बिप्लब मजूमदार को लेखा दाखिल न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, पश्चिम त्रिपुरा जिला को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, त्रिपुरा ने अपने पत्र द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस श्री बिप्लब मजूमदार को दिनांक 09.10.2023 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पश्चिम त्रिपुरा ने अपनी अनुपूरक रिपोर्ट दिनांक 05.03.2025, के द्वारा सूचित किया है कि श्री बिप्लब मजूमदार ने निर्वाचन व्यय के लेखे का कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत, श्री बिप्लब मजूमदार द्वारा विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है ,दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।";

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री बिप्लब मजूमदार** अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि त्रिपुरा के 18-**सूर्यमणिनगर** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **श्री बिप्लब मजूमदार**, निवासी- **अमताली भोलागिरी, डाकघर एवं थाना अमताली, जिला- पश्चिम त्रिपुरा, त्रिपुरा, पिन – 799130**, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

(राकेश कुमार)
सचिव
भारत निर्वाचन आयोग

सेवा में

श्री बिप्लब मजूमदार,
निवासी- अमताली भोलागिरी,
डाकघर एवं थाना अमताली,
जिला- पश्चिम त्रिपुरा, त्रिपुरा, पिन – 799130.